Statement

The State Councils of Higher Education would act as a link between the Universities and Colleges and the State Governments and work closely with the UGC in view of its statutory responsibility for the maintenance and coordination of standards of Higher Education at the All India level. The major functions of the Council will include : —

(i) To evolve perspective plans for development of Higher Education in the State;

(ii) to prepare consolidated programmes in the sphere of Higher Education in the State in accordance with the guidelines that may be issued by the UGC from time to time and to assist in their implementation;

(iii) to forward development programmes of Universities and Colleges in the State to UGC along with its comments and recommendations;

(iv) to assist UGC in respect of determination and maintenance of standards and suggest remedial action wherever necessary in accordance with the guidelines;

(v) to encourage and promote innovations in curricular development restructuring of course and updating of syllabi in the Universities/Colleges;

(vi) to promote and coordinate the programmes of autonomous colleges and to monitor its implementation;

(vii) to devise steps to improve the standards of examinations conducted by the Universities and suggest necessary reforms:

(viii) to regulate admission on the basis of physical facilities and to develop Entrance Examinations for admission to Institutions of Higher Education;

(ix) to advise State Governments in determining the block maintenance grants and to lay down the basis for such grants;

(x) to set up a State Research Board so as to link educational institutions research with that of the Research Agencies and also with research needs of the State;

(xi) to administer and release grant in aid from State Government to Universities and Colleges in the State:

(xii) to perform any other functional necessary for furtherance of Higher Education in a State.

सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए राष्ट्रीय नीति

*237. **डा० रत्नाकर पांडेय :**
श्रीमती रत्न कुमारी :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाएं रोकने की नीति रही है । मोटर यान अधिनियम, 1988 में ऐसे प्रावधान को शामिल किया गया है जिसमें लाइसेंस देने की पूर्व शर्त के रूप में कठोर डाक्टरी परीक्षण तथा सड़क संबंधी कानूनों की जानकारी, परिवहन वाहकों के लिए

ड्राईविंग लाइसेंस देने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुमोदित ड्राइवर प्रशिक्षण स्कूलों में अनिवार्य प्रशिक्षण तथा अपराध करने पर लाइसेंस निलंबित/रद्द करने की शर्त रखी गई है । खतरनाक और विस्फोटक मालों की ढुलाई के लि अलग से कठोर मानकों का भी प्रावधान किया गया है, निर्माताओं और प्रयोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि वाहनों के नाजुक संघटक निर्दिष्ट सुरक्षा मानकों के अनुरूप है । वाहनों के फिटनेस संबंधी परीक्षणो को सुरक्षा अपेक्षाओं को शर्त पूरी करनी होती हैं । यातायात संबंधी अपराधों के लिए जुर्मानों तथा दण्डों को भी निर्दिष्ट किया गया है । राजमार्गों के साथबसाथ यातायात सहायता चोकियां स्थापित करने, ट्रक पार्किंक कम्पलैक्स स्थापित करने संबंधी स्कीम तैयार करने और क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को दी गई हैं जिससे सड़क दुर्घटनायें कम हों ।

संस्थागत व्यवस्था करने संबंधी प्रयासों के अंग के रूप में समय-समय पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के मामले में समुचित निर्देश देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया गया है । सड़क सुरक्षा संबंधी स्कीमें तैयार करने और क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारोंसंघ क्षेत्रों द्वारा राज्य स्तरीय परिषदों और जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों का भी गठन किया गया है ।

सड़क सुरक्षा संबंधी विषयों के प्रति जनसाधारण में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए आवधिक रूप से "सड़क सुरक्षा सप्ताह" मनाने तथा सूचना के प्रसार के लिए संबंधित एजेंसियों के माध्यम से सतत कार्यक्रम शुरु किए गए हैं ।

Direct I.A. Flight to Madras from Delhi

*238. SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI :
SHRI PASUMPON THAKIRUTTINAN :

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased ea state :

(a) whether there is any proposal to introduce Indian Airlines direct morning flight from Delhi to Madras ;

(b) if so, what are the details thereof and if not, what are the reasons therefor ; and

(c) whether it is also a fact that during the recent months the passenger rush in this sector has increased and if so, what are the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL) : (a) No, Sir.

(b) Indian Airlines is operating a non-stop Madras-Delhi-Madras B-737 service in the evening hours, apart from daily Airbus A-300 services on the Madras-Hyderabad-Delhi and return sectors both in the morning and evening. The capacity provided both in the morning and evening, on these sectors. adequately meets the current passenger demand. There is therefore no proposal at present to operate a non-stop Madras-Delhi-Madras flight in the morning hours.

(c) No, Sir.

नेपाल में कार्यरत भारतीय अध्यापक के लिए अनिवार्य नेपाल नागरिकता

***239 श्री राम जेठमलानी
सरदार जगजीत सिंह अरोडा**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26' अप्रैल, 1989 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स में "नेपाल सिटीजनशिप मस्ट फार टीचर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस आशय के नेपाल सरकार के आदेश के संबंध में ब्यौरेवार सूचना प्राप्त की है कि नेपाल में कार्यरत भारतीय अध्यापकों को अनिवार्यतः उस देश की नागरिकता लेनी होगी अन्यथा उन्हें वहां अपने पदों से त्यागपत्र देना होगा ;